

सेक्टर-10 गणेश पंडाल में अवैध पार्किंग शुल्क वसूली पर निगम की कार्रवाई 5 कट्टा रसीद जब्त, समिति पदाधिकारियों को शुल्क वसूली तत्काल बंद करने की हिदायत

भिलाई। सेक्टर-10 स्थित गणेश पंडाल में अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त सुरुचि सिंह के आदेशानुसार तथा जोन आयुक्त येशा लहरे के निर्देश पर निगम की टीम द्वारा संध्याकाल में स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिवमानस गणेशोत्सव समिति द्वारा किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा रहा था। वहीं सिद्धि विनायक गणेशोत्सव समिति, सेक्टर-10 द्वारा स्वास्तिक सायकल स्टैंड के नाम से दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों से 10, 20 एवं 30 रुपये की राशि पार्किंग शुल्क के रूप में वसूल की जा रही थी।

निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए पार्किंग शुल्क वसूली में उपयोग की जा रही 5 कट्टा रसीद जब्त की। साथ ही समिति के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अवैध पार्किंग शुल्क वसूली बंद करने की स्पष्ट हिदायत दी गई। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की अवैध वसूली करते पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निगम ने आयोजक समितियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए आयोजन संचालित करें तथा श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की अनधिकृत राशि की वसूली न करें। कार्रवाई के दौरान नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक-5 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम सहित पुलिस प्रशासन भिलाई नगर की टीम उपस्थित रही।